रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 997] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2017/अग्रहायण 23, 1939
No. 997] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2017/AGRAHAYANA 23, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि.1510 (अ).—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा उत्प्रवास नियम, 1983 में अतिरिक्त संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाएं हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:–

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभण :

(1) इन नियमों को उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2017 के नाम से जाना जाएगा।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ही इन्हें लागू किया जाएगा।

2. उत्प्रवास नियम, 1983 में नियम 25 हेतु अनुगामी नियम को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''**25. सेवा प्रभार** – (1) कोई भी भर्ती एजेंट, किसी कामगार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में उस कामगार से अधिकतम तीस हजार रु. से अधिक सेवा प्रभार नहीं लेगा और भर्ती एजेंट इस संबंध में प्राप्त की गई राशि के लिए कामगार को आवती जारी करेगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित सेवा प्रभारों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :–

(क) देश के अलग–अलग भागों से कुशल या प्रशिक्षित उम्मीदवारों की तलाश और चयन करना;

(ख) विज्ञापनों की लागत;

(ग) जब कभी लागू हो ट्रेड परिक्षण शुल्क की लागत;

(घ) प्रमाणपत्रों के सत्यापन प्रभार;

(ड.) भर्ती एजेंट द्वारा साक्षात्कारों का आयोजन करने हेतु घरेलू यात्रा या भोजन एवं आवास की लागत;

(च) जब कभी लागू हो बढ़ाई गई बैंक गारंटी की वार्षिक लागत वहन करना;

(छ) जब उम्मीदवार यात्रा करने से मना कर दे और जल्दी देश प्रत्यावर्तन की मांग करें तब भर्ती एजेंटों पर विदेशी नियोक्ताओं द्वारा लगाए गए रद्दीकरण प्रभार;

(ज) उत्प्रवासियों की भर्ती को सरल बनाने हेतु प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों को चलाने की प्रशासनिक लागत;

(3) उपनियम (1) में संदर्भित सेवा प्रभारों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात :–

(क) भारत में विदेशी मिशनों या कांसुलावासों द्वारा लिए जाने वाले दूतावास या कांसुली वीजा शुल्क;

(ख) रोजगार पूर्व चिकित्सा जांच की लागत;

(ग) गन्तव्य देश का हवाई टिकट;

(घ) नियुक्ति से पहले उत्प्रवासी के भोजन और आवास के प्रभार, यदि कोई हो तो; और

(ड.) जैसा भी लागू हो वस्तु एवं सेवा कर;

प्रावधान किया जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर, इस उपनियम के अंतर्गत सभी प्रभार, विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(4) (क) भर्ती एजेंट द्वारा सेवा प्रभार सिर्फ डिजीटल भुगतानों या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही लिए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक भर्ती एजेंट अनुबंध 1 में निर्धारित किए गए अनुसार एक सौ रु. के मूल्य के स्टैम्प पेपर में एक 'वचन' देंगे और उसे नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाएगा।

(5) प्रत्येक भर्ती एजेंट प्रवासी भारतीय बीमा योजना बीमा प्रभार और प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण सहित अपने परिसरों में एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें लिए जाने वाले अधिकतम अनुमत सेवा प्रभार के साथ–साथ भुगतान के तरीके का उल्लेख किया गया होगा।

अनुबंध–I

(नोटरी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत 100 रू. के स्टैम्प पेपर पर दिए जाने हेतु)

(वचन)

1. उत्प्रवास अधिनियम 1983 के तहत पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या का धारक मैं (भर्ती एजेंट का नाम) एतद्वारा वक्तव्य देता हूं कि मैं उत्प्रवासियों, जिनकी भर्ती मेरे फर्म अथवा एजेंसी के माध्यम से होती है, से एकत्र किए जाने वाले सेवा प्रभारों की अनुमति के संदर्भ में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या, दिनांक में निर्धारित सभी निबंध एवं शर्तों का पालन करूंगा। इच्छुक प्रवासी कामगारों को भर्ती संबंधी अलग से कोई खर्च का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

2. आगे मैं यह वचन देता हूं कि 'सेवा प्रभार' के तहत वसूल किए जाने वाले सभी भुगतान केवल एनईएफटी अथवा आरटीजीएस अथवा भारत सरकार द्वारा किसी अन्य डिजीटल लेन–देन के माध्यम से ही वसूल किए जाएंगे, और कोई भी भुगतान नकदी रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

3. डिजीटल पेमेंट मोड का पालन न किए जाने से उत्पन्न होने वाली कोई शिकायत होने पर मैं उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 24 और 25 के तहत निर्धारित दंड का भागी बनूंगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर, दिनांक सहित)

(भर्ती एजेंट का नाम/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

भर्ती एजेंट की मुहर)

नोटरी की मुहर

[फा.सं. जेड–11025/279/2009–इमीग]

एम. सी. लूथर, संयुक्त सचिव और उत्प्रवास महासंरक्षी

नोट:– मुख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किया गया

1. एस.ओ. 665(अ), दिनांक 10 सितंबर, 1986;
2. जी.एस.आर. 111(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1987;
3. जी.एस.आर. 375(अ), दिनांक 23 मार्च, 1989;
4. एस.ओ. 111(अ), दिनांक 8 फरवरी, 1996;
5. एस.ओ 159(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1996;
6. एस.ओ. 526 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 1996;
7. जी.एस.आर. 713(अ), दिनांक 18 अक्तूबर 2002;
8. एस.ओ. 1205(अ), दिनांक 14 अक्तूबर, 2003;
9. जी.एस.आर. 143(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2004;

10.जी.एस.आर. 773(अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2004;
11.जी.एस.आर. 50(अ), दिनांक 6 फरवरी, 2006;
12.एस.ओ. 289(अ), दिनांक 7 मार्च, 2006;
13.एस.ओ. 856(अ), दिनांक 6 जून, 2006;
14.एस.ओ. 2161(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2006;
15.एस.ओ. 366(अ), दिनांक 14 मार्च, 2007;
16.एस.ओ. 776(अ), दिनांक 18 मई, 2007;
17.जी.एस.आर. 658(अ), दिनांक 15 अक्तूबर, 2007;
18.जी.एस.आर. 111(अ), दिनांक 8 फरवरी, 1996;
19.जी.एस.आर. 511(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2009;
20.जी.एस.आर. 726(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2015;

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2017

G.S.R. 1510(E).— In exercise of the powers conferred by section 43 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1983, namely:-

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Emigration (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Emigration Rules, 1983, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:-

"25. **Service charges**– (1) No recruiting agent shall collect from the worker the service charges more than a maximum of thirty thousand rupees, in respect of services provided by it to that worker and the recruiting agent shall issue a receipt to the worker for the amount collected by it in this regard.

(2) The service charges referred to in sub-rule (1) shall include the following, namely:-

(a) scouting and selecting skilled or trained candidates from different parts of the country;

(b) cost of advertisements;

(c) cost of trade test fees, wherever applicable;

(d) attestation charges for certificates;

(e) cost of domestic travel or lodging and boarding for conducting of interviews by the recruiting agent;

(f) recurring annual cost of enhanced Bank Guarantee, wherever applicable;

(g) cancellation charges imposed by foreign employers on recruiting agents when candidates refuse to travel and want early repatriation;

(h) administrative cost of running head office and branch offices for the ease of recruiting of emigrants.

(3) The service charges referred to in sub-rule (1) shall not include the following, namely:-

(a) Embassy or Consular visa fees charged by the foreign Missions or consulates in India;

(b) pre employment medical check-up cost.;

(c) air ticket to destination country;

(d) boarding and lodging charges of the emigrant before deployment, if any; and

(e) the goods and services tax as applicable:

Provided that the charges under this sub-rule, except goods and services tax, shall be borne by the foreign employer.

(4) (a) The service charges shall be collected by the recruiting agent only through digital payments or bank draft.

(b) Every recruiting agent shall give an 'undertaking' as prescribed in annexure-I in stamp paper of rupees one hundred value and shall be notarized.

(5) Every recruiting agent shall also display in his or her premises a board indicating the maximum allowed service charge to be collected as well as the mode of payment, along with Pravasi Bharatiya Bima Yojana Insurance charges and Pre-Departure Orientation Training."

Annexure-I

(To be given on Stamp paper of one hundred rupees, duly notarized)

UNDERTAKING

1. I….(name of RA)…..Holder of Registration Certificate No……

Issued by the Registering Authority, under the Emigration Act, 1983, do hereby state that I shall abide by all the Terms and Conditions laid down in the Notification No……., dated ……., issued by the Ministry of External Affairs, with reference to the Service Charges permitted to be collected from the Emigrants, who are recruited through my firm or agency. No additional expenses on recruitment shall be defrayed on intending emigrant workers.

2. I further undertake that all payments to be collected under "service charges" shall be collected only through NEFT or RTGS or any other digital transactions approved by the Government of India, and no payments shall be received in cash.

3. Any complaints arising due to Non-adherence to the digital payment mode shall make me liable to penalties prescribed under section 24 and 25 of the Emigration Act, 1983.

(Signature of Authorized Signatory with date)

(Name of RA / Authorized signatory)

SEAL of RA

SEAL of NOTARY

[F. No. Z-11025/279/2009-Emig]

M. C. LUTHER, Jt. Secy. & Protector General of Emigrants

Note : the principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 941 (E), dated the 30th December, 1983 and were subsequently amended vide notification numbers:

1. S. O. 665 (E), dated the 10th September, 1986;
2. G.S.R 111 (E), dated the 24th February, 1987;
3. G.S.R 375 (E), dated the 23th March, 1989;
4. S.O.111 (E), dated the 8th February, 1996;
5. S.O.159 (E), dated the 28th February, 1996;
6. S.O. 526 (E), dated the 22th July, 1996;
7. G.S.R 713 (E), dated the 18th October, 2002;
8. S.O.1205 (E), dated the 14th October, 2003;
9. G.S.R 143 (E), dated the 26th February, 2004;
10. G.S.R 773 (E), dated the 25th November, 2004;
11. G.S.R 50 (E), dated the 6th February, 2006;
12. S.O. 289 (E), dated the 7th March, 2006;
13. S.O. 856 (E), dated the 6th June, 2006;
14. S.O. 2161 (E), dated the 28th December, 2006;
15. S.O.366 (E), dated the 14th March, 2007;
16. S.O.776 (E), dated the 18th May, 2007;
17. G.S.R 658 (E), dated the 15th October, 2007;
18. G.S.R 111 (E), dated the 8th February, 1996;
19. G.S.R 511 (E),dated the 9th July, 2009;
20. G.S.R 726(E), dated the 21st September, 2015;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.15 15:12:37 +05'30'